न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 22/2015 Gcms No. 2015/00009
दायरा तिथि : 27.04.2015
आदेश तिथि : 9-5-2022

प्रार्थीगण :–

1. अभिमन्युसिंह पुत्र दुर्गासिंह जी
2. दुष्यन्तसिंह पुत्र दुर्गासिंहजी तमाम जाति राजपुत निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली जरिये खास मुख्यार बख्तावरसिंह पुत्र प्रभुसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) खास मुख्यार फौत होने से डिलिट किया गया

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मन्दिर श्री निम्बेश्वर महादेवजी जरिये श्री जगतसिंह राणावत अध्यक्ष श्री निम्बेश्वर महादेव ट्रस्ट साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज0)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री अमृत परिहार — अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक : 9-5-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम फालनागांव तहसील बाली में प्रार्थीगण के दादा द्वारा धारित की जा रही भूमि गत् खसरा नंबर 3 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा एवं पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा धारित की जा रही भूमि गत् खसरा नंबर 2 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा का भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा मौका स्थिति के विपरित इन्द्राज कर देने से भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये त्रुटिपुर्ण इन्द्राज को विलोपित करते हुये निम्नानुसार सही इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया :–

1. ग्राम फालना गांव के गत् खसरा नंबर 03 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 02 रकबा 581 हैक्टर जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज है, मेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित है। इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी से विलोपित कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज करनी।
2. ग्राम फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा जो कि अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज था, उससे बने हाल खसरा नंबर–03 रकबा 6.44 हैक्टर को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिया है, इसमेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शित है, प्रार्थीगण की खातेदारी से विलोपित कर अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज करनी।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य खस मुख्यारनामा दिनांक 17.01.2014 की फोटो प्रति, नजरी नक्शा की प्रति, मिलान क्षैत्रफल, गत् व हाल खतौनीयो, गत् व हाल नक्शा ट्रेस , सर्वे विशेषज्ञ दल की जांच दिनांक 10.09.2014 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया। कार्यवाही के चलते पॉवर ऑफ एटोरनी हासेल्डर बख्तावरसिंह की मृत्यु होने से दिनांक 31.08.2021 को प्रार्थी अभिमन्युसिंह की ओर से वकील श्री अमृत परिहार द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी पक्ष को जवाब प्रस्तुती के लिये अनगिनत समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश करने की स्थिति बाबत् वकील अप्रार्थी को अवगत कराये जाने पर वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस का अनुरोध किया, जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2022 को अप्रार्थी का जवाब अवसर बन्द करते हुये पत्रावली को बहस के लिये नियत किया गया।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री अमृत परिहार ने अप्रार्थी संख्या–01 की सैटलमेंन्ट पुर्व की धारित खातेदारी भूमि फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा एवं प्रार्थीगण के दादा स्व. सवाईसिंहजी पुत्र प्रतापसिंहजी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि फालनागांव के गत् खसरा नंबर 03 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा दोनो भूमियॉ पास– पास स्थित होने से भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी गत् खसरा नंबर 03 से बने हाल खसरा नंबर 02 रकबा 5.81 हैक्टर मेंसे 1.28 हैक्टर के भू0 भाग को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज कर दिया, तथा अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 रकबा 35 बीघा 09 से बने हाल खसरा नंबर 03 रकबा 6.44 हैक्टर मेंसे 1.28 हैक्टर प्रार्थीगण के नाम भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् बिना किसी आदेश के कर दिया। जबकि सर्वे दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार फालनागांव के हाल खसरा नंबर 02 रकबा 5.81 हैक्टर में प्रार्थीगण के स्व. दादा द्वारा भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड में धारित की जा रही खातेदारी भूमि गत् खसरा नंबर 03 का 1.28 हैक्टर भू0 भाग शामिल है,जिसको नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है। इसी प्रकार फालनागांव के हाल खसरा नंबर 03 रकबा 6.44 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या–01 के

पेज लगातार..............02

उपखण्ड अधिकारी बाली,जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 22/2015 Gcms No. 2015/00009

अनवान अभिमन्युसिंह वगैरा बनाम मंदिर श्री निम्बेश्वर महादेवजी जरिये अध्यक्ष जगतसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

नाम भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड में धारित की जा रही भूमि गत् खसरा नंबर 02 का 1.28 हैक्टर भू0 भाग शामील है, जिसको नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया है।

जिससे गत् एवं हाल नक्शो को ओवरलेपिंग करते हुये सर्वे दल द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार

1. ग्राम फालना गांव के गत् खसरा नंबर 03 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 02 रकबा 581 हैक्टर जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज है, मेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित है। इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी से विलोपित कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की दलील दी।

2. ग्राम फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा जो कि अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज था, उससे बने हाल खसरा नंबर–03 रकबा 6.44 हैक्टर को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिया है, इसमेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शित है, प्रार्थीगणं की खातेदारी से विलोपित कर अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थी पक्ष श्री गण्पतलाल चौधरी द्वारा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सर्वे दल की रिपोर्ट एवं गत् खसरा नंबर से बने हाल खसर नंबर के सबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई।

इस सबंध में राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956, धारा 136– धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियॉ– उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय या अन्य त्रुटि को दुरस्त कर सकता है जिसके लिए पक्षकार सहमत हो।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम फालना गांव में प्रार्थीगण के दादा स्व. सवाईसिंह पुत्र प्रतापसिंहजी की भू0 प्रबन्ध पुर्व की खातेदारी भूमि गत् खसरा 03 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं अप्रार्थी संख्या–01 की भू0प्रबन्ध पूर्व की खातेदारी फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 दोनो भूमियॉ पास–पास स्थित होने की वजह से भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् त्रुटिपुर्ण मिलान क्षैत्रफल तैयार करते हुये दोष पुर्ण इन्द्राज कर दिया जबकि गत् खसरा नंबर 03 से बने हाल खसरा नंबर 02 रकबा 5.81 हैक्टर जो कि अप्रार्थी संख्या–01 के नाम दर्ज है, इस भूमि में सर्वे दल की रिपोर्ट के अनुसार 1.28 हैक्टर प्रार्थीगण की भूमि है। इसी प्रकार गत् खसरा नंबर 02 से बने हाल खसरा नंबर 03 रकबा 6.42 हैक्टर जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, इस भूमि में सर्वे दल की रिपोर्ट के अनुसार 1.28 हैक्टर अप्रार्थी संख्या–01 की भूमि है। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त इन्द्राज़ मौका स्थिति के विपरित किया जाने से प्रार्थीगण की मांग अनुसार दोषपुर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व रेकर्ड में निम्नानुसार इन्द्राज दुरस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

1. ग्राम फालना गांव के गत् खसरा नंबर 03 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 02 रकबा 581 हैक्टर जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज है, मेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित है। इस भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी से विलोपित कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की जावे।

2. ग्राम फालनागांव के गत् खसरा नंबर 02 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा जो कि अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज था, उससे बने हाल खसरा नंबर–03 रकबा 6.44 हैक्टर को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिया है, इसमेंसे 1.28 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शित है, प्रार्थीगण की खातेदारी से विलोपित कर अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज की जावे।

तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना से न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का फालना गांव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घ्यम्डे नेहल ज्ञाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एव
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 3–5–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner